letter 2020 k

राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

क्र. एफ–5/अभि./सीटीएडी/ मंत्री अनुशंषा सडक एवं पुलिया/2018–19/ 15497-501 दि. 23/7/2020

उपायुक्त,
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग,
बांसवाडा।

विषय– सी.सी. सडक निर्माण कार्य की वित्तीय स्वीकृति।

प्रसंग– विभागीय प्रशासनिक स्वीकृति कमांक 13521–26 दिनांक 02.07.2020।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत शासन से विभागीय पत्रावली के पैरा 60/एन से 71/एन के कम में निम्नलिखित सडक निर्माण कार्य अनुमोदन के क्रम में उपायुक्त जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, बांसवाडा से पत्र कमांक 1277–78 दिनांक 03.06.2020 द्वारा तकनीकी स्वीकृति मय तकमीना प्राप्त होने से राशि 10.00 लाख रू. की वित्तीय स्वीकृति जारी की जाती है–

कार्यकारी एजेन्सी – ग्राम पंचायत (राशि लाख रू. मे)

क.स.	कार्य का नाम व स्थान	पंस.	तकनीकी स्वीकृति	
			क्र/दि	राशि
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	सी.सी.सडक निर्माण कार्य धनजी पिता मानेंग के घर से जसवन्तपुरा स्कूल तक ग्राम जसवन्तपुरा ग्राम पंचायत आबापुरा	बांसवाडा	81/01.06.20	10.00

उपरोक्त कार्य हेतु आवश्यक राशि 10.00 लाख की व्यवस्था विभागीय पत्रांक 44919–27 दिनांक 10.12.2019 का स्वीकृत कार्य राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय ग्राम छापरिया पं.सं. बांसवाडा में सीमेन्ट टाईल्स इन्टरलॉकिग कार्य राशि रू. 10.00 लाख विभागीय पत्रांक 13527–35 दिनांक 02.07.2020 द्वारा निरस्त किया गया जिसकी राशि उपरोक्त कार्य पर व्यय की जाएगी।

कार्य का सम्पादन निम्नांकित शर्तो के अधीन कराया जावे।

1. यदि स्वीकृत कार्य अन्य किसी योजना में स्वीकृत/सम्पादित किए जा चुके हो तो अविलम्ब सूचित किया जावें। दोहरा व्यय के लिए सम्बन्धित पंचायत समिति एवं कार्यकारी एजेन्सी जिम्मेदार होगी।
2. कार्यकारी एजेन्सी एवं तकनीकी स्वीकृति जारीकर्ता अधिकारी ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की प्रचलित ग्रामीण कार्य निर्देशिका की शर्तो के अनुसार कार्य का सम्पादन गुणवत्तापूर्वक किया जाने हेतु उत्तरदायी होगी।
3. निर्विवाद सार्वजनिक भूमि पर ही कार्य कराया जावे।
4. राशि का उपयोग स्वीकृत कार्यो पर ही तकमीना एवं तकनीकी स्वीकृति अनुसार किया जावें। कार्य पूर्ण होने पर कार्यपूर्णता प्रमाण–पत्र के साथ बचत राशि पुनः विभाग को लोटाई जावें।
5. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं संशोधन नियम 2013 तथा सामान्य वित्त एवं लेखा नियम की पालना सुनिश्चित करते हुए कार्य का सम्पादन किया जावें।
6. उपायुक्त इस कार्यालय के पत्र कमांक 20728–80 दिनांक 23.05.2019 द्वारा निर्देशानुसार जिन कार्य की कार्यकारी एजेन्सी ग्राम पंचायत नियुक्त की गई उन कार्यो की राशि सीधे ही ग्राम पंचायत को हस्तान्तरित नही कर संबंधित विकास अधिकारी पंचायत समिति को नियमानुसार हस्तान्तरित करेंगे।

कृ.पृ.उ.

7. ग्रामीण कार्य निर्देशिका के प्रावधानों के अनुसार कार्यो का सम्पादन किया जावेगा एवं नियमानुसार उपयोगिता/कार्य पूर्णता प्रमाण–पत्र प्राप्त कर शेष राशि उपलब्ध करायेंगे।
8. कार्य स्थल पर जनजाति विभाग द्वारा निर्माण कार्य का साईन बोर्ड (Display Board) लगाया जावें।

भवदीय

sd/-

(जितेन्द्र कुमार उपाध्याय) IAS
आयुक्त

क्र. एफ–5/अभि./सीटीएडी/ मंत्री अनुशंषा सडक एवं पुलिया/2018–19/15451-54 दि. 23/7/2020
प्रतिलिपी :-सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

1. विशिष्ठ सहायक, मां. मंत्री महो. जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग,सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, सचिवालय, जयपुर।
3. जिला कलक्टर, बांसवाडा।
4. वित्तीय सलाहकार, कार्यालय हाजा
5. निदेशक, मोनिटरिंग, कार्यालय हाजा।
6. कम्प्यूटर शाखा, कार्यालय हाजा।
7. विकास अधिकारी, पंचायत समिति बांसवाडा, जिला बांसवाडा ।
8. गार्ड फाईल।

अतिरिक्त आयुक्त
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग,
उदयपुर

1, सहेली मार्ग, चेतक सर्कल, उदयपुर (राज.) PABX: 2428721– 24 फेक्स : 0294–2428721
Website www.tad.rajasthan.gov.in ई–मेल : comm.tad @ rajasthan.gov.in